भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

***

मार्च, 2021 के लिए मासिक सारांश

पंचायती राज मंत्रालय, संविधान के 73 वें संशोधन की निगरानी और कार्यान्वयन, परामर्शी कार्यके लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका में ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) केपदाधिकारियों की प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण का लाभ उठाकर प्रशासनिक बुनियादी ढाँचा, बुनियादीसेवाओं आदि को मजबूत करना शामिल है। उपर्युक्त उद्देश्य को साकार करने के लिए मंत्रालय कारोडमैप निम्नलिखित तीन स्तंभों के माध्यम से है:

- वित्त आयोग अनुदान के माध्यम से बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था,
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से आरएलबी का क्षमता निर्माण और
- ग्राम पंचायत विकास योजना और परामर्शी कार्य के माध्यम से समावेशी और भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से अभिसरण और समग्र योजना।

माह के दौरान निम्नलिखित मुख्य गतिविधियाँ थी:

1. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के तहत मंत्रालय द्वारा 28 राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 60,559.00 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की गई थी, जिनमें से 57,738.52 करोड़ रूपए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं जो कि वर्ष 2020-21 के लिए आवंटन का 95% है।
2. अपनी अंतिम रिपोर्ट में पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के संचालन के लिए मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और विचार के लिए वित्त मंत्रालय को भेज दिए गए हैं।
3. 'स्ट्रेन्थनिंग रिजाइलिएन्स एट द लोकल लेवेल- लेसन्स फ्रोम साउथ एशिया' विषय पर सीएलजीएफ ऑनलाइन क्षेत्रीय बैठक 10 मार्च, 2021 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी जिसमें पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया था।
4. पंचायती राज मंत्रालय के आपदा प्रबंधन योजना पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए प्रस्तुति की गई थी जिसमें पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार योजना की विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताया गया था।
5. आरजीएसए की स्कीम के तहत वर्ष 2020-21 के लिए संबंधित वार्षिक कार्य योजना की अनुमोदित गतिविधियों के लिए मिजोरम, त्रिपुरा, असम, तेलंगाना, नागालैंड, राजस्थान

और केरल को 42.85 करोड़ रूपये की धनराशि जारी कि गई। इसके साथ, वर्ष 2020-21 के दौरान योजना के तहत संचयी व्यय 499.92 करोड़ रूपए है जो कि संशोधित अनुमान (RE) का 99.9% है।

6. आरजीएसए की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की 3 बैठकों में 15 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर विचार किया गया तथा इन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के लिए 1579.424 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए थे।

7. सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सहित संशोधित प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) को प्रारम्भ करने की तैयारी संबंधी गतिविधियां एनआईआरडी और पीआर एवं एनआईसी के सहयोग से की गई हैं।

8. स्वामित्व योजना 24 अप्रैल, 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों में बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में गृह मालिकों को मालिकाना हक प्रदान के लिए 'हक विलेख' प्रदान करने के लक्ष्य से ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबाद (आबादी) भूमि के सीमांकन और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। 39,736 गांवों में ड्रोन उड़ान पूरी हो चुकी है और 2,481 गांवों (संचयी) में संपत्ति कार्ड / हक विलेख जारी किए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने व्यय वित्त समिति की सिफारिश पर, पांच वर्ष 2020-2025 के दौरान पूरे देश में इसके कार्यान्वयन के लिए 566.23 करोड़ रूपये के वित्तीय परिव्यय के साथ योजना को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए समस्त धनराशि का उपयोग 79.65 करोड़ रुपये के आरई आवंटन की तुलना में किया गया है।

9. अपने ई-पंचायत एम एम पी के अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से पंचायतों के लिए उपलब्ध वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक उपाय के रूप में पंचायती राज मंत्रालय ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को अपनाने के लिए राज्यों पर सख्ती से जोर दिया है। मंत्रालय ई-ग्राम स्वराज के साथ-साथ पीएफएमएस खातों और ग्राम पंचायत (जीपी) पंजीकरण को बंद करने के लिए राज्यों को सम्पर्क कर रहा है। वर्ष 2019-20 के लिए, 96% ग्राम पंचायतों ने अपनी ईयर-बुक बंद कर दी हैं। वर्ष 2020-21 के लिए, 80% ग्राम पंचायतों ने अपनी मंथ-बुक बंद कर दी हैं। राज्यों ने भी XV वित्त आयोग के तहत भुगतान करना शुरू कर दिया है। आज तक, 1,14,331 ग्राम पंचायतों ने पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत ईग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से भुगतान शुरू किया है । मार्च के महीने में, पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम को एनईआरसी, गुवाहाटी में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही, 24 राज्यों ने लेखापरीक्षकों का पंजीकरण (5,683 लेखापरीक्षक पंजीकृत) और ऑडिटऑनलाइन आवेदन के लिए लेखापरीक्षा योजना

(81,281 ग्राम पंचायत) की तैयारी के लिए 14वें वित्त आयोग लेखा की लेखापरीक्षा की तैयारी प्रारम्भ कर दी है। 24 राज्यों ने ग्राम पंचायत (ऑडिटी)) उपयोगकर्ता (1,66,168 ऑडिटीज़) बनाने शुरू कर दिए हैं। 22 राज्यों ने भी आवेदन पर टिप्पणियों (3,48,199 टिप्पणियाँ) को दर्ज किया है। साथ ही, 16 राज्यों ने लेखापरीक्षा रिपोर्ट (17,201 रिपोर्ट) तैयार की है। हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

10. राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 (मूल्यांकन वर्ष 2019-20) को अनेक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 30 ग्राम पंचायतों (जीपी) / ग्राम परिषदों (वीसी) को बाल-सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार, 29 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 29 ग्राम पंचायतों / ग्राम परिषदों को 29 ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, 30 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 30 ग्राम पंचायतों / ग्राम परिषदों के लिए 30 नानाजीदेशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार और 224 पंचायतों को जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर 224 दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार देने के लिए अंतिम रूप दिया गया है।

11. ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना की तैयारी एवं कार्यान्वयन (आरएडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2017 में आवश्यक अद्यतन सुझाव हेतु निदेशक, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल, मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, क्योंकि 2017 से अनेक विकास कार्य शुरू हुए हैं।

12. मंत्रालय ने भारत की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ को समर्पित एक 75-सप्ताह का कार्यक्रम - आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष में पंचायती राज संस्थाओं कि सुझाव सूची पर आधारित और / या स्थानीय परिस्थितियों/आवश्यकताओं/ उपयुक्तता के अनुसार अनुकूल 75 सप्ताह के लिए राज्य-विशेष कार्य योजना तैयार करने के लिए इस अनुरोध के साथ 75 गतिविधियों की एक सूची तैयार की और राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज विभाग के साथ साझा किया।

13. अपने उद्घाटन सप्ताह के कार्यक्रम के रूप में आजादी का अमृत महोत्सव - 75 सप्ताह के एक कार्यक्रम के उपलक्ष में मंत्रालय ने 12 मार्च, 2021 को कृषि भवन, नई दिल्ली में राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज के विभागों और बीकन पंचायतों के रूप में चुनी हुई 75 जिला पंचायतों, 75 ब्लॉक पंचायतों और 75 ग्राम पंचायतों से बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया तथा 75 सप्ताह (12 मार्च 2021 - 15 अगस्त 2022) के लिए सुझाई गई गतिविधियों, क्रियान्वयन रणनीति, कार्य योजना और 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के राष्ट्रव्यापी समारोह से संबंधित मुद्दों के बारे में उनके साथ विचार-विमर्श किया। वेबिनार में 600 से अधिक प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भाग लिया। पंचायतों से 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' को 'जन संवाद' एवं 'जन-जागरण'

जैसी आउटरीच पहलों के माध्यम से जन भागीदारी के रूप में 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' को एक 'जन-उत्सव' के रूप में मनाने के लिए अनुरोध किया गया।

14. पंचायती राज मंत्रालय ने चुनाव होने वाले राज्यों को छोड़कर, सभी ग्राम पंचायतों को 22 मार्च 2021 को सुबह 11 बजे 'जल संरक्षण' मामलों और 'जल धरोहरों को बचाए रखने पर चर्चा करने तथा माननीय प्रधानमंत्री के "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" के शुभारंभ पर दिनांक 22 मार्च, 2021, 12.30 बजे अपराहन को विश्व जल दिवस -2021 के अवसर पर सम्बोधन को सुनने के लिए ग्राम सभा आयोजित करने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए परामर्शिका जारी की।

15. मंत्रालय ने सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण और संबन्धित मुद्दों पर 5 मार्च, 2021 को बिहार की पंचायतों के साथ पर तथा महाराष्ट्र की पंचायतों के साथ 19 मार्च, 2021 के संबोधन और वर्चुअल बातचीत को सुविधाजनक बनाया।

16. मंत्रालय लगातार कोविड-19 पॉजिटिव बिहेवियरल परिवर्तनों पर आईईसी सामग्रियों को पोस्ट / ट्वीट / शेयर / रिट्वीट / रिपोस्ट करता रहा है और कोविड-19 के खिलाफ गहन लड़ाई की गति को बनाए रखने के लिए पंचायतीराज मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से कोविड -19 टीकाकरण के बारे में जमीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाता रहा है।

17. मंत्रालय के समक्ष 1 मार्च, 2021 को 30 लोक शिकायतें / याचिकाएँ लंबित थीं तथा 310 (यानी 268 ऑनलाइन + 42 फिजिकल) लोक शिकायतें / याचिकाएँ मार्च महीने के दौरान प्राप्त हुई थीं। कुल 340 (310 मार्च में प्राप्त + 30 पिछले महीने से अग्रेषित) में से 310 शिकायतों / याचिकाओं की फरवरी में निपटान किया गया और 30 को 1 अप्रैल, 2021 को अग्रेषित किया गया था।

18. फरवरी 2020 के दौरान, ई-ऑफिस प्रणाली में 146 ई-फाइलें खोली गईं, जो महीने के दौरान खोली गई कुल फाइलों का 100% है।

Government of India

Ministry of Panchayati Raj

***

Monthly Summary for the month of February, 2021

The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is responsible for the work of advocacy, monitoring and implementation of Constitution 73rd Amendment. The role of the MoPR involves strengthening the administrative infrastructure, basic services etc. by leveraging technology and capacity building of the functionaries of Rural Local Body (RLB). Ministry's roadmap to realise the above objective is through three pillars:

- Provision of basic services through the Finance Commission Funding,
- Capacity building of RLBs through Rashtriya Gram SwarajAbhiyan (RGSA) and
- Convergent & holistic planning through inclusive & participatory process through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) and advocacy work.

The following were the main activities during the month:

1. An amount of Rs. 60,559.00 crore was recommended to Rural Local Bodies of 28 States by the Ministry under XV FC Grants for FY 2020-21, of which Rs. 57,738.52 crore has been released by the Ministry of Finance accounting for 95% of the allocation for 2020-21.

2. Draft guidelines towards operationalization of the recommendations of XV FC in its final report have been prepared and forwarded to Ministry of Finance (MoF) for consideration.

3. CLGF Online Regional Meeting on the subject of 'Strengthening resilience at the local level – lessons from South Asia' was held in virtual mode on 10 March, 2021 in which the officers of MoPR had participated.

4. Presentation on Disaster Management Plan of Ministry of Panchayati Raj was made to National Disaster Management Authority wherein the various features of the Plan prepared by MoPR were explained.

5. Funds to the tune of Rs. 42.85 Crore were released to the states of Mizoram, Tripura, Assam, Telangana, Nagaland, Rajasthan and Kerala for the approved activities of the respective Annual Action Plan for 2020-21 under the scheme of RGSA. With this, the cumulative expenditure under the scheme during 2020-21 is Rs. 499.92 Cr which is 99.9% of RE.

6. The Annual Action Plan (AAPs) for FY 2021-22 of 15 States/ UTs were considered in the 3 meetings of Central Empowered Committee of RGSA and the AAPs of these states / UTs amounting to Rs. 1579.424 crs was approved.

7. Preparatory activities of rolling out of the revamped Training Management Portal (TMP) including orientation training of all States/UTs have been under taken in coordination with NIRD&PR and NIC.

8. SVAMITVA Scheme was launched on 24th April 2020 with the aim of demarcation of inhabited (Abadi) land in rural areas by drone survey method with the objective to provide the 'record of rights' to village household owners possessing houses in inhabited rural areas in villages and issuance of property cards to the property owners. Drone flying has beencompleted in 39,736 villages and Property Cards/ Title deeds have been issued in 2481 villages (cumulative). The Ministry of Finance, on recommendation of the Expenditure Finance Committee, approved the scheme with the financial outlay of Rs.566.23 crores for its implementation throughout the country during five years 2020-25. All the funds have been utilized against the RE allocation of Rs 79.65 cr. for Financial Year 2020-21.

9. As a measure towards augmenting transparency and accountability in management of finances available to Panchayats from various sources under

its e-Panchayat MMP, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). The Ministry has been pursuing States for closure of account on eGramSwaraj as well as for Gram Panchayat (GP) registration on PFMS. For the year 2019-20, 96% of the Gram Panchayats have closed their year books. For the year 2020-21, 80% GPs have closed their month books.States have also started carrying out payments under XV Finance Commission. As on date, 1,14,331 GPs have initiated payments through eGramSwaraj-PFMS interface under XV FC. In the month of March, training has been provided to NE States viz. Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland and Sikkim at NERC, Guwahati. Further, 24 States have started registration of Auditors (5,683 Auditor registered) and preparation of Audit Plan (of 81,281 GPs) for AuditOnline application for auditing 14th Finance Commission accounts. 24 States have started creating GP (Auditee) users (1,66,168 Auditees). 22 States have also recorded Observations (3,48,199 observations) on the application. Also, 16 States have generated audit reports (17,201 Reports). Trainings have been provided to State of Haryana, Rajasthan and West Bengal.

10. National Panchayat Awards 2021 (Appraisal Year 2019-20) have been finalized for awarding Child-friendly Gram Panchayat Award to 30 Gram Panchayats (GPs)/ Village Councils (VCs) in as many States/UTs, 29 Gram Panchayat Development Plan Award to 29 GPs/ VCs in 29 States/UTs, 30 NanajiDeshmukhRashtriya Gaurav Gram Sabha Puraskar to 30 GPs/ VCs in 30 States/UTs and 224 DeenDayalUpadhyay Panchayat SashaktikaranPuraskar to 224 Panchayats District, Block and Gram Panchayat level.

11. A Committee under the Chairmanship of Director, School of Planning & Architecture, Bhopal, Madhya Pradeshhas been constituted to suggest necessary updation in the Rural Area Development Plan Formulation and

Implementation (RADPFI) Guidelines, 2017 as several developments have taken place since 2017.

12. Ministry prepared a list of 75 activities for 75 weeks and shared with State / UT Department of Panchayati Raj with a request to formulate State-specific Action Plan for 75 weeks based on the suggestive list of activities for Panchayati Raj Institutions and/or customise according to the local conditions/ requirements / suitability in commemoration of AzadiKaAmritMahotsav – a 75-week programme dedicated to the 75th anniversary of India's independence.

13. As its inaugural week programme of the AzadiKaAmritMahotsav – a 75-week programme the Ministry organized National Webinar at KrishiBhawan, New Delhi on 12th March, 2021 to interact with State/UT Departments of Panchayati Raj and 75 District Panchayats, 75 Block Panchayats & 75 Gram Panchayats selected as beacon Panchayats and discussed with them the suggested activities for 75 weeks (12th March 2021 – 15th August 2022), implementation strategy, action plan and issues relating to nationwide celebration of the AzadiKaAmritMahotsav.The webinar was attended to by more than 600 representatives and officials. Panchayats were requested to celebrate 'AzadiKaAmrtMahotsav' as a *Jan-Utsav* in the spirit of *Jan-Bhagidari* through outreach initiatives like *Jan-Samvaad* and *Jan-Jagran* about AzadiKaAmritMahotsav.

14. The Ministry of Panchayati Raj issued advisory to all Gram Panchayats, except of poll-bound States, to make suitable arrangements to convene Gram Sabha at 11 AM on 22 March 2021 for discussing water conservation issues, administering Water Pledge and listening to the Hon'ble Prime Minister's address at the launch of "Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain" at 12:30 PM on 22 March 2021 on the occasion of World Water Day–2021.

15. The Ministry facilitated address and virtual interaction by Secretary, Department of Consumer Affairs, Government of India with Panchayats of

Bihar on Consumer Protection and related issues on 5th March 2021 and with Panchayats of Maharashtra on 19th March 2021.

16. The Ministry has continuously been posting/ tweeting/ sharing/ retweeting/ reposting the IEC materials on COVID-19 Positive Behavioral Changes and also raising awareness about COVID-19 vaccination through Ministry of PanchayatiRaj's social media platforms to maintain the momentum of intensive fight against COVID-19 at grassroots level.

17. There were 30 grievances/petitions pending with Ministry as on 1st March, 2021 and 310 (i.e. 268 online + 42 physical) grievances/ petitions were received during the month of March. Out of total 340 (310 received in March + 30 carried forward from last month), 310 grievances/petitions were disposed in February and 30 were carried forward as on 1st April, 2021.

18. During March 2020, 146 e-files were opened in e-office system, which constitutes 100% of the total files opened during the month.

****